न्यायालय–प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, रामपुर बाघेलान
जिला सतना (म0प्र0)
(समक्ष–प्रतिभा वास्कले)

RCSA-155/2022
Filing No.- RCSA-325/2022
CNR No.-MP1908/001030/2022
Filing Date -19/10/2022

1. **मल्लू प्रसाद सोनी** तनय स्व0 गनपत प्रसाद सोनी, उम्र–62 वर्ष
निवासी ग्राम–बेला, तहसील रामपुर बाघेलान,
जिला सतना, (म.प्र.)

.....आवेदक

बनाम

1. **अखिलेश प्रसाद सोनी** तनय स्व0 रामलाल सोनी, उम्र–35 वर्ष
निवासी ग्राम–पगरा, तहसील रामपुर बाघेलान,
हाल निवास–ग्राम बेला, तहसील रामपुर बाघेलान, जिला सतना, (म.प्र.)
2. **म0प्र0 शासन** द्वारा जिलाध्यक्ष, जिला सतना, (म.प्र.)

..... अनावेदकगण

वादी द्वारा	:–	श्री अजय मिश्रा अधिवक्ता।
प्रतिवादी क0–1 द्वारा	:–	श्री आर0पी0 साहू, अधिवक्ता।
प्रतिवादी क0–2	:–	पूर्व से एकपक्षीय।

// आ दे श //
(आज दिनांक 18.04.2023 को पारित)

1. इस आदेश द्वारा आवेदक/वादी की ओर से प्रस्तुत आवेदन–पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सहपठित धारा–151 व्य0प्र0स0 आई0ए0नं0–01/22 का निराकरण किया जा रहा है।

2. **आवेदन–पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सहपठित धारा–151 व्य0प्र0स0 आई0ए0नं0–01/22 संक्षिप्ततः इस प्रकार है कि :–** ग्राम बेला पटवारी हल्का बेला रा0नि0मं0 मौहारी कटरा तहसील अमरपाटन परिवर्तित

तहसील रामपुर बाघेलान जिला सतना म0प्र0 स्थित आराजी नं0–773/1/2/6 रकवा 20 बाई 30 बराबर 600 वर्गफिट एवं उस पर निर्मित पक्का मकान का मालिक स्वामी व आधिपत्यधारी वादी है, जिसका खाता वादी के नाम पर दर्ज अभिलेख है। उक्त आराजी मे निर्मित मकान 600 वर्गफिट के अंश रकवा 7 बाई 7 बराबर 49 वर्गफिट पर बने मकान को वादी ने प्रतिवादी क0–1 को रहने के लिये दिया था, जिसमे प्रतिवादी क0–1 अपने जातीय सोनारी का व्यवसाय किये हुये है, जिसकी चौहददी उत्तर मे सतना रीवा रोड, दक्षिण मे खेत, पूर्व मे वादी के मकान का शेष भाग जिसमे वह निवासरत है बाद प्रभुदयाल का मकान एवं पश्चिम मे चुन्नीलाल का मकान है, जिसे दावा के साथ संलगन अनुलग्न ''अ'' मे लालरंग से दर्शित किया गया है। वादग्रस्त भूमि वर्ष 2004–05 के पूर्व म0प्र0 शासन की आबादी भूमि थी और वादी के पास ग्राम बेला मे रहने के लिये कोई आवासीय भूमि नहीं थी वह भूमिहीन व्यक्ति था, तब ग्राम पंचायत बेला जनपद पंचायत अमरपाटन द्वारा वादी को आवास योजना के तहत भूमि के आवंटन की कार्यवाही का प्रस्ताव जरिये प्रस्ताव क0–6 दिनांक–31.03.2005 को पारित कर अनुविभागीय अधिकारी अमरपाटन के समक्ष प्रेषित किया गया जिस पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत के उक्त प्रस्ताव पर जरिये रा0प्र0क0–59ए66/2004–05 मे पारित आदेश दिनांक–05.07.2005 को म0प्र0भू0रा0सं0 1959 की धारा–244 के प्रावधानो के अनुसार वादी को भूमिस्वामी का अधिकार प्रदान कर आराजी नं0–773/1/2/6 रकवा 600 वर्गफिट पर उसे आवासीय मकान बनाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी, उसी अनुसार तहसीलदार महोदय एवं सरपंच ग्राम पंचायत बेला के संयुक्त हस्ताक्षर से 04/– रूपये के वार्षिक भू–भाटक की अदायगी पर वादी को प्रमाण पत्र जारी किया गया था। उक्त वादग्रस्त भूमि पर वादी 5 कमरो का मकान बनाकर अपने परिवार सहित निवासरत है।

3. वादी ने अपने आवेदन मे कथित किया है कि प्रतिवादी क0–1 मूलतः पगरा का रहने वाला है व वादी का रिश्ते से भतीजा है। वर्ष 2018 मे प्रतिवादी क0–1 व्यवसाय करने हेतु वादी के पास आया। वादी ने प्रतिवादी क0–1 को व्यवसाय करने हेतु अपने आधिपत्य के उक्त मकान का एक कमरा सोनारी का व्यवसाय करने हेतु दे दिया था, जिस पर प्रतिवादी क0–1 अपना सोनारी का व्यवसाय करने लगा था। काफी समय बीत जाने के बाद वादी ने प्रतिवादी क0–1 को उक्त कमरा खाली करने के लिये कहा तो प्रतिवादी क0–1 टालमटोल करने लगा व आज दिनांक तक वादी का उक्त कमरा खाली नहीं किया तथा प्रतिवादी क0–1 द्वारा दिनांक–16.11.2020 को म0प्र0वि0 मंडल अमरपाटन से अपने नाम विद्युत कनेक्शन प्राप्त कर लिया है। उक्त संबंध मे वादी के द्वारा म0प्र0वि0 मंडल अमरपाटन के कार्यालय मे दिनांक–29.11.2020 को लिखित शिकायत की गई थी, किंतु उक्त शिकायत पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। दिनांक–25.08.2022 को प्रतिवादी क0–1 के द्वारा वादग्रस्त मकान के अंश दक्षिणी भाग पर जबरिया दरवाजा खोलकर अपना सामान रखने का प्रयास किया गया जिस पर वादी के द्वारा विरोध किया गया तब प्रतिवादी क0–1 व उसकी पत्नी व पुत्र द्वारा जान से मारने की धमकी व गाली गलौच किया गया। प्रतिवादी क0–1 के द्वारा वादी के उक्त मकान के अंश भाग पर जबरन कब्जा कर निर्माण कार्य कर लिया गया तो

वादी को अपूर्णीय क्षति कारित होगी। अतः वादी का आवेदन स्वीकार कर प्रतिवादी क0–1 के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाये। ऐसी स्थिति मे प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति का सिद्धांत वादी के पक्ष मे है।

4. **अनावेदक/प्रतिवादी क0–1 द्वारा अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सहपठित धारा–151 व्य0प्र0स0 आई0ए0नं0–01/22 व्य0प्र0स0 का जवाब संक्षिप्ततः इस प्रकार है कि :–** प्रतिवादी क0–1 ने वादी के आवेदन के सम्पूर्ण तथ्यो को इंकार करते हुये अपने विशेष कथन मे व्यक्त किया है कि वादी तीन भाई थे तथा वादी के अलावा रामलाल सोनी व रामविश्राम सोनी भी गनपत सोनी के पुत्र थे, जिसमे से रामलाल सोनी की मृत्यु हो चुकी है और प्रतिवादी क0–1 रामलाल सोनी का पुत्र है। ग्राम बेला की आराजी नं 773 के अंश भाग पर वादी का वादग्रस्त मकान दर्शित किया जा रहा है उक्त मकान को प्रतिवादी क0–1 के पिता रामलाल सोनी ने वर्ष 1988 के पूर्व बनवाया था। वादग्रस्त मकान पर एक कमरे मे लल्लू सोनी व रामविश्राम सोनी के द्वारा टेलरिंग का काम किया जाता है तथा शेष सभी कमरो पर प्रतिवादी क0–1 का कब्जा है। वादग्रस्त मकान प्रतिवादी क0–1 का पैतृक मकान है जिसे वादी द्वारा प्रतिवादी क0–1 व रामविश्राम सोनी के चोरी चोरी अपने नाम आवास योजना के तहत दर्ज करा लिया है। वादी का निवास वादग्रस्त मकान के पूर्व दिशा की ओर इन्द्रजीत के द्वारा प्रतिवादी क0–1 के पिता रामलाल को दिये गये मकान मे है। वादग्रस्त मकान के मात्र एक कमरे मे वादी एवं रामविश्राम सोनी मिलकर टेलरिंग का काम करते है, इसके अलावा सम्पूर्ण रकवे पर प्रतिवादी क0–1 का पैतृक कब्जा दखल चला आ रहा है। वादी द्वारा अनुविभागीय अधिकारी अमरपाटन के समक्ष धारा–12च स्थान नियंत्रण अधिनियम 1961 के तहत प्रतिवादी क0–1 की बेदखली हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था जो दिनांक–26.02.2020 को निरस्त कर दिया गया था। वादी द्वारा तत्कालीन तहसीलदार अमरपाटन के समक्ष दिनांक–12.07.2019 व 10.07.2019 को आवेदन दिया गया था जिस पर हल्का पटवारी के द्वारा मौके की जॉच कर पंचनामा तैयार किया गया था व वादी द्वारा म0प्र0 शासन को प्रतिवादी क0–2 के रूप मे जोड़ा गया है किंतु वादी के द्वारा धारा–80 व्य0प्र0सं0 का नोटिस उक्त प्रतिवादी को नहीं भेजा गया है व बिना नोटिस दिये ही म0प्र0 शासन के विरूद्ध घोषणा का वाद प्रस्तुत किया गया है। वादी द्वारा उक्त तथ्य व कार्यवाही का लोप कर प्रतिवादी के विरूद्ध यह झूठा आवेदन पेश किया गया है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति का सिद्धांत वादी के पक्ष मे नहीं होने से आवेदन निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

5. प्रकरण मे प्रतिवादी क0–2 पूर्व से एकपक्षीय है।

6. अस्थायी निषेधाज्ञा आवेदन के निराकरण हेतु विचारणीय बिन्दु निम्नलिखित हैं:–

1. क्या प्रकरण में प्रथम दृष्टया मामला आवेदक/वादी के पक्ष में हैं ?

2. क्या सुविधा के संतुलन का सिद्धांत आवेदक/वादी के पक्ष में हैं ?
3. क्या अस्थायी निषेधाज्ञा जारी न किये जाने पर आवेदक/वादी को अपूर्णीय क्षति होने की संभावना है ?

विचारणीय बिन्दु क्रमांक 1 का निराकरण

7. वादी ने अपने पक्ष समर्थन मे स्वंय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। वादी ने अपने आवेदन मे कथित किया है कि वादग्रस्त भूमि वर्ष 2004–05 के पूर्व म0प्र0 शासन की आबादी भूमि थी और वादी के पास ग्राम बेला मे रहने के लिये कोई आवासीय भूमि नहीं थी वह भूमिहीन व्यक्ति था, तब ग्राम पंचायत बेला जनपद पंचायत अमरपाटन द्वारा वादी को आवास योजना के तहत भूमि के आवंटन की कार्यवाही का प्रस्ताव जरिये प्रस्ताव क0–6 दिनांक–31.03.2005 को पारित कर अनुविभागीय अधिकारी अमरपाटन के समक्ष प्रेषित किया गया जिस पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत के उक्त प्रस्ताव पर जरिये रा0प्र0क0–59ए66/2004–05 मे पारित आदेश दिनांक–05.07.2005 को म0प्र0भू0रा0सं0 1959 की धारा–244 के प्रावधानो के अनुसार वादी को भूमिस्वामी का अधिकार प्रदान कर आराजी नं0–773 /1/2/6 रकवा 600 वर्गफिट पर उसे आवासीय मकान बनाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी, उसी अनुसार तहसीलदार महोदय एवं सरपंच ग्राम पंचायत बेला के संयुक्त हस्ताक्षर से 04/– रूपये के वार्षिक भू–भाटक की अदायगी पर वादी को प्रमाण पत्र जारी किया गया था। उक्त वादग्रस्त भूमि पर वादी 5 कमरो का मकान बनाकर अपने परिवार सहित निवासरत है।

8. वादी ने अपने आवेदन मे कथित किया है कि प्रतिवादी क0–1 को व्यवसाय करने हेतु अपने आधिपत्य के उक्त मकान का एक कमरा सोनारी का व्यवसाय करने हेतु दे दिया था। काफी समय बीत जाने के बाद वादी ने प्रतिवादी क0–1 को उक्त कमरा खाली करने के लिये कहा तो प्रतिवादी क0–1 टालमटोल करने लगा व आज दिनांक तक वादी का उक्त कमरा खाली नहीं किया तथा प्रतिवादी क0–1 द्वारा दिनांक–16.11.2020 को म0प्र0वि0 मंडल अमरपाटन से अपने नाम विद्युत कनेक्शन प्राप्त कर लिया है। उक्त संबंध मे वादी के द्वारा म0प्र0वि0 मंडल अमरपाटन के कार्यालय मे दिनांक–29.11.2020 को लिखित शिकायत की गई थी, किंतु उक्त शिकायत पर कोई कार्यवाही नहीं की गई, दिनांक–25.08.2022 को प्रतिवादी क0–1 के द्वारा वादग्रस्त मकान के अंश दक्षिणी भाग पर जबरिया दरवाजा खोलकर अपना सामान रखने का प्रयास किया गया जिस पर वादी के द्वारा विरोध किया गया तब प्रतिवादी क0–1 व उसकी पत्नी व पुत्र द्वारा जान से मारने की धमकी व गाली गलौच किया गया। वादी ने अपने आवेदन मे कथित किया है कि प्रतिवादी क0–1 वादग्रस्त मकान मे निर्माण कार्य करने की फिराक मे है, परंतु वादी द्वारा उक्त संबंध मे ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया है तथा ऐसा कथन नही किया है कि निर्माण कार्य हेतु प्रतिवादी क0–1 द्वारा मटेरियल वहॉ डलवाया गया हो।

9. वादी द्वारा अपने पक्ष समर्थन मे खसरा वर्ष 2014 से 2019 तथा किश्तबंदी खतौनी वर्ष 2018–19 की छायाप्रति प्रस्तुत की है जिसके अवलोकन

से दर्शित है कि वादग्रस्त आराजी मे वादी का नाम कब्जेदार के रूप मे तथा वादी द्वारा शिकायती आवेदन कनिष्ठ अभियंत्री म0प्र0 पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड ग्राम बेला जिला सतना, एस0आई0 व डी0आई म0प्र0 पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जिला सतना तथा ग्राम पंचायत बेला जनपद पंचायत अमरपाटन ग्राम मे आबादी व आवास योजना की भूमि पर गृहस्थल दिये जाने बावत् प्रमाण पत्र की छायाप्रति प्रस्तुत की है। प्रतिवादी क0 –1 ने अपने पक्ष समर्थन मे तहसील न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी अमरपाटन के रा0प्र0क0–0079अपील/ 2019–20 मे पारित आदेश दिनांक 26.02.2020 की छायाप्रति प्रस्तुत की है, उक्त के अवलोकन से दर्शित है कि प्रकरण क्षेत्राधिकारिता का ना होने से खारिज कर दिया गया। प्रतिवादी द्वारा कार्यालय सरपंच ग्राम बेला जनपंद पंचायत अमरपाटन मे ज्वेलरी दुकान मे विद्युत सप्लाई का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है। वादी ने स्वंय अपने आवेदन मे कथित किया है कि उसने अपने मकान मे प्रतिवादी क0–1 को एक कमरा दिया था, जिसमे प्रतिवादी क0–1 सोनारी का व्यवसाय किये हुये है। अतः प्रथम दृष्टया मामला वादी के पक्ष मे नहीं पाया जाता है।

विचारणीय बिन्दु क्रमांक 2 एवं 3 का निराकरण

10. चूंकि पूर्व विवेचनानुसार यह दर्शित है कि वादग्रस्त मकान मे प्रतिवादी क0–1/अनावेदक भी वर्तमान मे काबिज है। ऐसी स्थिति में आवेदक के पक्ष मे अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्रदान न किये जाने से उसे असुविधा या क्षति का होना संभावित नहीं है। फलतः प्रकरण में सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का सिद्धांत भी वादी/आवेदक के पक्ष में होना नहीं पाया जाता है।

11. चूंकि पूर्वोक्त विवेचन से प्रकरण में प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति का सिद्धांत आवेदक के पक्ष में होना नहीं पाया गया है। अतः आवेदक का आवेदन उचित नहीं होने से अस्वीकार किया जाता है।

12. उक्त आदेश अन्य आदेश अथवा प्रकरण के निराकरण तक प्रभावी रहेगा।

13. इस आदेश का प्रभाव प्रकरण के गुणदोष के आधार पर किये जा सकने वाले निराकरण पर नहीं होगा।

आदेश खुले न्यायालय में पारित। मेरे निर्देशन पर टंकित।

(प्रतिभा वास्कले)
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड
रामपुर बाघेलान, जिला सतना म.प्र.

(प्रतिभा वास्कले)
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड
रामपुर बाघेलान, जिला सतना म.प्र.

PRATIBHA VASKALE
Digitally signed by PRATIBHA VASKALE
Date: 2023.04.21 11:16:23 +0530